रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248436
CG-DL-E-31082023-248436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3679] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 3679] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

का.आ. 3840(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गो के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को आज्ञापक बनाने के लिए संख्यांक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना कहा गया) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई;

और, केंद्रीय सरकार ने, अन्य बातों के साथ, कतिपय परियोजनाओं के संबंध में पूर्व पर्यावरण मंजूरी की अपेक्षित कतिपय क्रियाकलापों में छूट देने के लिए अधिसूचना संख्या 1224(अ), तारीख 28 मार्च, 2020,द्वारा ईआईए अधिसूचना में परिशिष्ट-IX में संशोधन किया;

और, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान न्यायपीठ ने नोबल एम पाइकाडा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2020 के मूल आवेदन संख्या 190 में अपने तारीख 28 अक्टूबर, 2020 के आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना पर पुनः विचार करने के निर्देश पारित किया;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा(2) के खंड (v), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात, सार्वजनिक हित में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ.1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है: अर्थात्-:

उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट-IX में, क्रम संख्या 6 और 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"6. सड़क, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, या सोर्सिंग या प्रयोग करना इस संबंध में समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन होगा।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों के अनुरक्षित और आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना इस संबंध में समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन होगा।

[फा.सं. 3-70/2020-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- 2, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का. आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2226(अ), तारीख 18 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2023

S.O. 3840(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 issued a notification vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification) for mandating prior environmental clearance for certain categories of projects;

AND WHEREAS, the Central Government, *interalia,* amended Appendix-IX to the EIA Notification vide notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020, to exempt certain activities from the requirement of prior environmental clearance in respect of certain projects;

AND WHEREAS, the National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi vide its order dated the 28th October, 2020 in Original Application No. 190 of 2020 in the matter of Noble M Paikada vs. Union of India & Ors. passed the directions for revisiting the said notification;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India number S.O 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in Appendix-IX, for serial numbers 6 and 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"6. Extraction or sourcing or borrowing *of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc. shall be subject to the compliance of standard operating procedures and environmental safeguards issued in this regard from time to time.*

7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management shall be subject to the compliance of environmental safeguards issued in this regard from time to time.".

[F. No. 3-70/2020-IA.III]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii)*vide*, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended *vide* the notification number S.O. 2226(E), dated the 18th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.